

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 01(01)न्याय/2026

जयपुर, दिनांक 22.06.2026

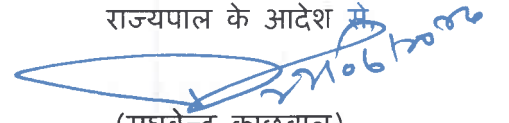
::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है :-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला/न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय, सुमेरपुर	पाली	सुमेरपुर

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से



(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, पाली।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी, (उप निदेशक) विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।



(आशीष कुमार कुमावत)

संयुक्त शासन सचिव